METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

#OPERATIONCONVICTION

#AMETHIPOLICE

एडीजीसी पॉक्सो श्री विवेक सिंह

पैरोकार हे0का0 मित्रसेन वर्मा

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अभियुक्तों को क्रमशः मा0 न्यायालय द्वारा 20 व 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 56,000 व 51,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादिनी मुकदमा के दिनांक 24.07.2021 समय 16.43 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर वादिनी की नाबालिक पुत्री को अभियुक्तगण द्वारा घर मे घुसकर जबरदस्ती बलात्कार करना, विडियो बनाना तथा धमकी देना कि किसी को बताया तो शादी भी नही होने दूंगा व तेजाब फेंक दूंगा की तहरीर पर मु0अ0सं0 191/2021 धारा 452/376डी/506/201 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट व 67 आईटी एक्ट थाना मुंशीगंज पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करके माननीय न्यायालय सुलतानपुर में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे-12 सुलतानपुर द्वारा अभियुक्तगण को क्रमशः 20 व 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 56,000 व 51,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा का विवरण:-

- अभियुक्त दिलीप कनौजिया को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 56,000 रुपये के अर्थदण्ड।
- अभियुक्त नन्दलाल कोरी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 51,000 रुपये के अर्थदण्ड व अर्थदण्ड ना अदा करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम व पता: –

- **दिलीप कन्नौजिया पुत्र भोला कन्नौजिया निवासी धरई माफी थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी।**
- **नन्दलाल कोरी पुत्र मोतीलाल कोरी निवासी धरई माफी थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी।**

उक्त अभियोग पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत माननीय न्यायालय में सशक्त व प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाये जाने हेतु जनपद अमेठी के महत्वपूर्ण 20 अभियोगों में चिन्हित किये गये थे।